BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXV | 15th January 2014 | No. 1

प्रवासी भारतीय दिवस में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में चैम्बर की सहभागिता

दिनांक 7 से 9 जनवरी 2014 तक दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल एवं स्थायी आमंत्रित श्री नवीन कुमार मोटानी ने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया ।

प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर बिहार पैवेलियन में माननीय उद्योग मंत्री श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा। उनकी बांयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा। दांयी ओर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल।

बिहार पैवेलियन के बाहर बांयें से स्थायी आमंत्रित श्री नवीन कुमार मोटानी, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

विज्ञान भवन में उपस्थित (बांयें से) कार्यकारिणी सदस्य श्री विशाल टेकरीवाल, स्थायी आमंत्रित श्री नवीन कुमार मोटानी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

चैम्बर अध्यक्ष ने किया सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउंटेंट्स स्टूडेंट्स एसोसियेशन, पटना द्वारा दिनांक 28.12.2013 को चैम्बर प्रांगण में आयोजित यूथ फेस्टीवल का उद्घाटन

युवा महोत्सव का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल (बाँयें से तीसरे)। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः आईसीएआई, पटना के अध्यक्ष सी० ए० अमिय कुमार मिश्रा एवं सीआईएआई के कोषाध्यक्ष सी० ए० रवि शंकर दूबे। बाँयीं ओर सीआईसीएएसए, पटना के चेयरमैन सी० ए० विजय चौरसिया।

दिनांक 28.12.2013 को चैम्बर प्रांगण में सेंट्रल इंडिया चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित Youth Festival (युवा महोत्सव) का उदघाट्न बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया। श्री अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

अपने संबोधन में श्री अग्रवाल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले छात्र/छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य की महत्वपूर्ण जानकारी दी ताकि वे एक सफल चार्टर्ड एकाउंटेंट बन सकें । इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने Information Technology Centre एवं Orientation Program के छात्र/छात्राओं को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया ।

जरूरत के हिसाब से बने बिल्डिंग बायलॉज

एमवीआर में संशोधन पर होगा विचार : सीएम

नए बिल्डिंग बायलॉज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे सूबे के लिए एक ही बायलॉज से काम नहीं चलेगा। अलग-अलग क्षेत्रों को ध्यान में रख अलग-अलग बायलॉज बने। मिनिमम वैल्यू रजिस्टर (एमवीआर) में संशोधन पर मुख्यमंत्री ने निबंधन मंत्री बिजेंद्र यादव को निर्देश दिया कि इस पर वह विचार करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पटना समेत राज्य के 20 शहरों के लिए मेट्रो प्लान तैयार किया जाएगा।

राजगीर स्थित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उद्यमी पंचायत मुख्य रूप से रियल इस्टेट से जुड़े मुद्दों पर थी। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डर सूबे के शहरीकरण की दिशा में अपने ढंग से सोचें। नये शहर बनायें व नए इलाके विकसित करें। जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान सभी के सहयोग से होगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त नवीन वर्मा व नगर विकास विभाग के सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिल्डिंग बायलॉज से संबधित निर्माण सेक्टर के सुझावों की मानिटरिंग खुद मुख्य सचिव अपने स्तर से करें । बिल्डिंग बायलॉज को लेकर जो मतभेद है, उस पर विभागीय सचिव के स्तर पर पुनः बैठक होगी। पर भूकंप, बाढ़ एवं आग जैसी आपदा को लेकर बायलॉज में जो प्रावधान हैं, उन पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। बायलॉज में जितने सुधार की जरूरत होगी वह किया जाएगा। बिल्डर सड़कों की चौड़ाई पर विशेष ध्यान दें।

पंचायत में बिल्डरों ने एफएआर और जनसंख्या की सघनता के मसले को भी उठाया। एमवीआर की बढ़ी दर पर उन्हें खास आपत्ति थी। रिजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आरंभ किए जाने का बात कही। उनकी मांग के अनुसार अब पटना मास्टर प्लान और मेट्रोपोलिटन एरिया को पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। स्टोन चिप्स की कभी के मुद्दे को उठाया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से जो पहाड़ महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। उनका इस पर बल रहा कि शहरीकरण को 11 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत पर ले जाया जाये। मुख्यमंत्री ने राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के वेबसाइट को भी लांच किया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 31.12.2013)**

उद्यमी पंचायत (30.12.2013) में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री सावल राम डोलिया एवं श्री विशाल टेकरीवाल सम्मिलित हुए। कंस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज पर चैम्बर के ज्ञापन एवं अन्य समस्याओं को चैम्बर के महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा ने प्रस्तुत किया।

निजी ट्रस्टों को पीएफ में सुविधा जल्द

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए भविष्य निधि (पीएफ) खाते के ऑनलाइन स्थानांतण सुविधा के विस्तार की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत निजी पीएफ ट्रस्टों के अधीन आने वाले कर्मचारी भी अगले महीने से अपने पीएफ खातों का ऑनलाइन स्थानांतरण कर पाएंगे।

निजी पीएफ ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कोष का प्रबंधन करते हैं। लगभग 2, 750 निजी पीएफ ट्रस्ट हैं जो अपने कर्मचारियों के खातों का प्रबंधन करते हैं।

ईपीएफओ की सूचना सेवा शाखा इस तरह की प्रणाली पर काम कर रही है जिससे एक निजी पीएफ ट्रस्ट से पीएफ खातों को किसी अन्य फर्म या अन्य फर्म के कर्मचारी के पीएफ खातों को इस तरह के ट्रस्ट में स्थानांतरित किया जा सके। यह सुविधा चार से छह सप्ताह में शुरू की जा सकती है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.12.2013)**

Suggestions On Draft Bihar Building Bye-laws 2013 By Bihar Chamber Of Commerce & Industries Submitted To Secretary Urban Development Department On 28.12.2013

We are thankful to you and express our appreciation for your sincere efforts in drafting and bringing out the proposed Draft Bihar Building Bye Laws 2013 published on 14.12.2013 for Bihar which aims to start process for better urban planning. We are also thankful for giving us an opportunity to give our suggestions regarding the proposed Building Bye Laws, so, that a proper and balanced Building Bye-Laws may be finalized keeping in view the views of all concerned stakeholders and people at large.

We are submitting our suggestions below for your kind consideration:-

1. The proposed building bye-laws and codes are conducive for planned development of cities on international standards. If enough parking space or ventilation space is being made mandatory, it is good for development of organized neighbourhoods. However, the notification issued by the Government of Bihar in exercise of the powers conferred by Section 321 of the Bihar Municipal Act and Section 81(2)(w) and Section 82(2)(e) of the Bihar Urban Planning and Development Act 2012 is applicable to all Municipal Areas and all Planning areas including Gram Panchayat Area under various Planning Authority which is and may not be beneficial to all areas of Bihar.

2. Bihar is an ancient State of India and most of the cities of Bihar have come to the present stage of the growth in an unplanned manner. Streets are narrow and many cities on account of their geographical location cannot expand in the way they should. The surrounding areas are flood prone and waterlogging in an usual phenomenon. Old British time bridges, narrow streets and National Highways prove to be a bottleneck in the proper & planned development of the cities. River Ganges passes through a large area of the State limiting expansion of the cities which fall on the banks of Ganges. Similarly river Koshi has affected the planned development of almost entire North East Bihar. Bihar includes important cities like Patna, Muzaffarpur, Gaya, Bhagalpur, Darbhanga, Begusarai, Purnea, Saharsa, Arrah, Buxar,Chapra etc. and almost all the cities have their own limitations. But whatever urbanization has taken place in these cities, it has increased the demand of affordable houses. Of late, all the above cities have developed into educational hubs. A large number of students aspiring for engineering, medical, Business Management and other professional education come to these cities for getting proper education which has increased demand for affordable houses manyfolds. This has given rise to Real Estate Construction Business in a great way. Moreover, due to heavy investment by the State Government in the last seven to eight years in infrastructure development has given a boost to the real estate business. With the rise in the per capita income the consumption pattern of the people of the State has drastically changed the demand pattern which has attracted almost all large and medium companies to open their offices, showrooms, godowns etc. in the State which has further added to the demand for the good houses. But this demand is difficult to be fulfilled on the basis of the proposed Building Bye-Laws in view of the basic shortcoming of the cities of the State. In view of this our suggestions for amending the proposed Building Bye-Laws would as under:

(i) The same building bye-laws cannot be made applicable to the different cities of the State and it has to be differentiated on the basis of geographical location of the different cities, Nagar Panchayat, Rural Panchayat etc. Similarly particular features of the different cities should be kept in mind while finalizing Building Bye-Laws for them. For example the width of the main roads, streets, load of population and traffic, static and floating population of the cities, cost of land etc. vary from city to city & these have to be kept in mind. It may be proper to categories the cities in A,B,C& D grades and the Building Bye-Laws may be finalized according to the grade of the cities.

(ii) The schedule of FAR as finalized in the proposed Bye-Laws should not be made applicable in Bihar. Rather the FAR should be enhanced properly in relation to the width of the Road and it may be enhanced upto 3. It may be mentioned here that floor area ratio is decided based on the population density and should not governed by the width of the road.

(iii) Permissible height for all plot sizes should be increased particularly plot sizes between 300-500 mtrs. be increased from proposed 12 mtrs. to more than 16 mtrs. and for plot sizes above 500 mtrs. from proposed 15 mts. to more than 18 mtrs.

(iv) Reference to point 33 (2) : minimum distance between 2 buildings be reduced from proposed 1/3 of the height of the taller building to **1/5 of the height of the taller building.** Moreover the minimum width of the internal road be reduced from proposed 6 metres toapprox 3 metres .

(v) In clause 33-3.E – industrial buildings: Micro industries should be taken out from preview of these bye-laws. Their plan shuld be as per guide lines of Chief Inspector of Factories.

(vi) Reference to point 34 (table 6): Building above 21mtrs height should be treated as high-rise / multi storied buildings. As such set back for buildings up to 21 metres height be maintained as per existing by laws, and setback above 21 metres height can be revised.

(vii) Reference to point 36: Max height of the building be increased from proposed 1.5 times x width of road + front setback to 3 times of width of road + front setback .

(viii) Reference to point 37: residential apartment building be excluded from requirement of off street free parking space. It can be provided in residential apartment as per requirement of building design and flat owners with a condition that no vehicle be parked on the street .

(ix) Obtaining completion certificate or occupiency certificate should not be made mandatory for individual houses. In respect of appartments this certificate may be mandatory.

(x) Provision of passing the maps & plans by the architect should remain there. The plan or map approved by the architect may only be vetted at the level of Regional Development Authority within a given time frame but vesting the power of approving the plan & map by the Regional Development Authority will only increase the highhandedness of the Regional Development Authority. There should be a time limit of maximum 30 days for vetting the approved plan & map by the Regional Development Authority.

(xi) The construction of any building in respect of which permission has been issued before coming into force of these Bye-Laws should continue to be validly made on the basis of the earlier permission and for such buildings the prevailing bye-laws at the time of sanction should continue to be applicable. If the proposed bye-laws are given the retrospective effect, this will virtually kill the Real Estate Industry.

(xii) In case of building more than 15 mtrs height the structure plan and the structural design should be vetted by IIT, NIT or any State Resource Centre identified by Bihar State Disaster Management Authority.

(xiii) The Security Deposit provision should be relaxed as they are very stringent.

(xiv) Provision of periodic physical inspection of all occupied buildings by a team of Multi-disciplinary professionals of the authority should be removed from the proposed bye-laws.

(xv) Provision of stairs, open spaces around the building in a new

developing areas/new colonies should be reasonably amended.

(xvi) Bihar is growing at a fast rate due to the visionary policies of the present govt. led by the Chief Minister Hon'bleShriNitish Kumar and if this trend of growth continues unabated, we can safely presume that in the next ten years we shall catch up the national percentage. It is a known fact now that power scenario has improved a lot which is the prime factor for industrial growth. All these will definitely put pressure on urban infrastructure. In this situation, the role of real estate sector becomes much more important. The real estate sector contributes 6.3% of GDP at the National Level and it is higher in Bihar though as the other sectors in Bihar are performing much below the National Average. It has been observed that the multiplier effect of Real Estate Sector in the GDP is three times which means it affects nearly 20% of the GDP. Therefore, any casual approach to the formulation of Building Bye-Laws will affect our economy very adversely.

In the proposed Draft Building Bye-Laws the FAR has been reduced drastically, the land cost of the average built up area will increase sharply and this is turn will push the prices of property very high. At the least the property prices in Patna will see an increase of Rs. 1500/- per sqft across the board, the more so since the land cost is capped by the Minimum Value Register and one cannot sell below that rate. Thus, prices of property will go beyond the pocket of even higher middle class with the minimum price of a 2 bedroom flat becoming Rs. 55,00,000/- and above. Obviously these prices are unaffordable for Buyers and unrealistic for Sellers, but yet at the same time the prices cannot be reduced since major components- land cost and construction cost are very high. The result will be that Buyers will go out of state and the Real Estate market will be killed.

This is an admitted fact that other than Patna all other important towns of Bihar measurably lac in infrastructures and civic amenities and this is the basic reason for high population pressure on Patna. Moreover the outline areas do not have land plots of the size of 2000 sq.mtrs facing 90 fit or more wide road. In fact the average road width in most towns of Bihar is 9 mtrs. Therefore, this should be the threshold limit for allowing construction of any multistory apartment.

(xvii) About the **setback norms for Multistorey Apartments**, these should be as per NBC Guidelines for movements of Fire Tenders. It has been put at higher limit in Draft Bye Laws. Leaving a space of 6 meter in all the four sides will leave no space for the Buildings to be constructed, given the small sizes of the plots in Bihar**. We submit that in all sides of the Buildings it should be reduced.**

(xviii) The definition of **Multistorey Buildings** should be changed and it has to be **18 meter and above high buildings** which can be called a Multistorey Building so that ceiling height can be raised in order to make the living condition of the people better.

(xix) About the FAR much needs to be said. FAR is to be guided by the population density of the area. An examination of comparative population density of different states of India gives us insight into this problem. Bihar has the highest population density among all the states (barring Delhi & Goa) at around 1136 persons per sq km, West Bengal and Kerala following the chart with 1023 & 870 persons per sq km. Bihar has a unique geographical condition whereby vast area of north Bihar are ravaged by floods every year. This further puts pressure on existing towns. We can very well say that examples of other states cannot be copied for Bihar. At the time of policy making we have to think original, which is contextual for our particular and specific requirements. To copy the Bye Laws of a state whose population density is 270 persons per sq km is never going to serve our purpose. The world over high population countries are opting for higher FAR with higher land use/ conversion charges. Why can't we think on that pattern? We can further add some FAR to the private Builders for Economically Weaker Section Housing needs. This will lead to inclusive growth also. If we go for less FAR as has been proposed in the Draft Bye Laws, it will lead to lateral growth of towns and the agricultural area will shrink in with the passage of time there will be continuous stretch of town but no cultivable land to till.

(xx) However there are many far reaching proposals in the Draft Bye Laws, like Green Building Norms, Water Harvesting, Earthquake resistant structural designs, vetting of designs by engineers from IITs, provision of Lifts etc. those have to be applauded. Online filing of Maps for approval is again a laudable decision but it has to be implemented properly so that the Citizen – Official Interface can be minimized and corruption can be removed. This method should be applied for Completion Certificate and Occupancy Certificates also.

At the end, we would submit that the Govt. should take into account the suggestions of all the stakeholders so, that the economy of the state may prosper and there is balance growth of the state's economy.

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली 1957 के नियम 12(7) के अन्तर्गत प्रावधान है कि जिस अवधि में अर्न्तराज्यीय व्यापार के क्रम में रियायती कर अथवा कर से छूट का दावा किया गया है उसके अगले 3 माह के अन्दर व्यवहारी द्वारा विहित प्राधिकार के समक्ष प्रपत्र C/F/E-2 दाखिल कर दिया जाना है।

ऐसा पाया गया है कि अधिकांश व्यवसायी विभिन्न अवधियों में किए गये रियायती कर अथवा कर से छूट के दावे के समर्थन में विहित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी विहित प्राधिकार के समझ प्रपत्र C/F/E-1/E-2 दाखिल नहीं करते हैं।

एतद् द्वारा सभी संबधित व्यवसायीयों को सूचित किया जाता है कि पूर्व के सभी अवधियों में रियायती कर की दर अथवा कर से छूट के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी घोषणा पत्र दिनांक 31.12.2013 तक निश्चित रूप से सम्बंधित अंचल में दाखिल करना सुनिश्चित रूप से संबंधित अंचल में दाखिल करना सुनिश्चित करें।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.12.2013)

सर्वर के कारण बढ़ी व्यापारियों की समस्या

चैम्बर ने जताई चिंता

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने वाणिज्य कर विभाग का सर्वर डाउन रहने के कारण व्यापारियों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षोप की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा कि विभाग की इस स्थिति के कारण व्यापारियों का न तो रोड परमिट निकल पा रहा है और न ही वह सलाना रिटर्न भर पर रहे हैं। उन्हें आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ रहा है। रोड परमिट निकालने के लिए व्यापारियों को ट्रक नम्बर देना होता है। इसकी समय सीमा भी तय होती है। लिहाजा, बिना ट्रक लोड कराये व्यापारी इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। साथ ही लोड होने के बाद परमिट में विलंब होने पर उन्हें डिटेन्शन भरना पड़ता है। इतना ही नहीं सलाना रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 दिसम्बर ही है। व्यापारियों की परेशानी और आर्थिक नुकसान को देखते हुए नये विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए।

(विस्तृतः हिन्दुस्तान, 25.12.2013)

Circle/Divisionwise collection &Target of Vat Up to Dec. 2013 (Prov.)

(Rs. In lacs)

Sl. No.	Circle/Division	Target up to Dec., 13	Coll. up to Dec.,12	Coll. up to Dec.,13	% Growth
1	2	3	4	5	6
1	Patna Special	470894.92	297209.89	335304.75	12.82
2	Patliputra	173351.30	109751.90	112644.96	2.64
	Cenral Division	**644246.22**	**406961.79**	**447949.71**	**10.07**
3	Patna West	13081.95	9704.97	11822.20	21.82
4	Patna Central	13614.43	9759.27	11844.23	21.36
5	Patna North	14083.44	9651.93	12980.03	34.48
6	Gandhi Maidan	5158.93	3851.29	5188.39	34.72
7	Patna South	15275.54	11271.44	14273.41	26.63
8	Kadam Kuan	5114.64	4255.53	5115.54	20.21
9	Patna City East	12823.65	7058.34	11204.89	58.75
10	Patna City West	12810.57	8541.54	12186.46	42.67
11	Danapur	19180.00	14581.51	19026.38	30.48
12	Barh	31394.54	17276.55	16572.77	– 4.07
13	Shahabad	3825.58	2165.76	3778.76	74.48
14	Buxar	1608.44	1181.68	1650.10	39.64
15	Biharshariff	4469.08	2748.04	3955.45	43.94
	Patna Division	**152440.79**	**102047.85**	**129598.61**	**27.00**
16	Sasaram	8064.64	5342.23	7587.34	42.03
17	Bhabhua	2973.47	1486.64	4394.15	195.58
18	Gaya	10917.36	7300.32	11293.08	54.69
19	Jelanabad	1540.64	915.28	1489.65	62.75
20	Nawada	2202.95	1565.31	1913.35	22.23
21	Aurangabad	12518.59	4519.82	12830.87	183.88
	Gaya Division	**38217.65**	**21129.60**	**39508.44**	**86.98**
22	Saran	4486.20	3114.84	3294.46	5.77
23	Siwan	3816.96	2475.26	3703.84	49.63
24	Gopalganj	3395.34	2069.58	3034.14	46.61
25	Muzaffarpur West	13901.84	9560.03	12450.44	30.23
26	Muzaffarpur East	6852.15	4548.58	5608.75	23.31
27	Hajipur	12951.75	8485.72	12752.65	50.28
28	Sitamarhi	5417.97	3241.07	5432.64	67.62
29	Motihari	4853.35	3310.92	4457.86	34.64
30	Raxaul	841.84	509.44	668.97	31.31
31	Bettiah	5262.72	3246.13	4245.49	30.79
32	Bagaha	1971.06	1256.34	1202.12	–4.32
	Tirhut Division	**63751.18**	**41817.91**	**56851.36**	**35.95**
33	Darbhanga	6323.66	4128.01	6495.44	57.35
34	Samastipur	5632.30	3321.62	5017.08	51.04
35	Madhubani	2895.88	1877.85	2566.93	36.70
36	Jhanjharpur	688.33	445.55	567.46	27.36
37	Begusarai	38666.09	25833.24	66849.68	158.77
38	Teghra	643.41	417.76	645.36	54.48
	Darhbanga Division	**54849.67**	**36024.03**	**82141.95**	**128.02**
39	Saharsa	4572.88	2767.70	3233.43	16.83
40	Madhepura	1847.06	1143.99	1549.28	35.43
41	Purnea	8780.00	5797.36	8400.84	44.91
42	Katihar	5687.93	3683.00	4710.03	27.89
43	Forbesganj	2512.90	1542.95	2260.59	46.51
44	Kishanganj	3014.13	1928.39	2700.76	40.05
45	Khagaria	1681.20	1101.28	1688.89	53.36
	Purnea Division	**28096.10**	**17964.67**	**24543.82**	**36.62**
46	Bhagalpur	22056.94	13989.15	19752.32	41.20
47	Lakhisarai	1269.63	728.99	1194.54	63.86
48	Munger	4464.35	2943.75	3067.71	4.21
49	Jamui	1798.26	1077.13	1473.37	36.79
	Bhagalpur Division	**29589.18**	**18739.02**	**25487.94**	**36.02**
	State	**1011190.79**	**644684.87**	**806081.83**	**25.04**

(Source : Commercial Taxes Deptt., Bihar)

वैट अंकेक्षण की तिथि को लेकर व्यापारी पसोपेश में

राज्य के व्यापारियों के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। राज्य में वैट अंकेक्षण की तिथि की घोषणा की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31दिसंबर ही है। जानकारों का कहना है कि नियमानुसार व्यापारियों को इसकी सूचना मार्च में मिलनी चाहिए।

वाणिज्य कर विभाग की ओर से एक सूचना 13 दिसंबर 2013 को दी गई है। इसमें वैट अंकेक्षण के लिए वर्ष 2011-12 के लिए चयनित व्यापारियों की सूची विभागीय नेट पर डाली गई है। जबकि चयन का मापदंड अप्रैल 13 में ही जारी हो चुका था। इसमें यह सूचित किया गया है कि व्यवसायी अपने चयन की जांच मापदंडों के आधार पर कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति हो वे अपनी आपत्ति अपर आयुक्त अंकेक्षण को 31 दिसंबर 2013 तक लिखित रूप से कर सकते हैं। बिहार टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने बताया कि नियमानुसार इस सूची को 31 मार्च 2013 तक तैयार कर वेबसाइट पर प्रकाशन करना था एवं व्यवसायी को मई 2013 तक आपत्ति दर्ज करनी थी। मार्च तक केवल मापदंड ही तय किया गया था जबकि इसके साथ व्यापारियों के चयन की सूची भी जारी करनी चाहिए थी। अत: इस परिस्थिति में 31 दिसम्बर को बढ़ाकर 31 जनवरी कर देना व्यापारियों के लिए हितकर होगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 30.12.2013)**

निवेश बढ़ाने के लिए बनेगा वेंचर्स फंड

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को मदद दी जाएगी

बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार वेंचर्स फंड बनाएगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों और उद्योग के क्षेत्र में कदम रखने वालों को मदद दी जाएगी। इस फंड में राज्य सरकार का 26 प्रतिशत ही शेयर रहेगा। यह पीपीपी मोड में चलेगा। जब वेंचर्स फंड बनेगा तो इसमें इंडस्ट्री और निजी निवेशकों को आगे आना होगा। इससे नए उद्यमियों और जो चलायमान प्रोजेक्ट हैं, उन्हें इक्यूटी के रूप में फंड की मदद दी जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.12.2013)**

पहले एसपीवी को ट्रांसफर करनी होगी जमीन

निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना स्पेशल पर्पस व्हीकिल (एसपीवी) के माध्यम से की जाएगी। उद्योग विभाग ने निजी औद्योगिक पार्क के लिए नियमावली बनाने के पश्चात एसपीवी के गठन की भी नियमावली तैयार कर ली है। तय हुआ है कि निजी औद्योगिक पार्क के लिए भू-स्वामियों को पहले एसपीवी को जमीन का मालिकाना हक ट्रांसफर करना होगा। नई औद्योगिक नीति के तहत इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी दी जाएगी।

एसपीवी फिर निजी औद्योगिक पार्क के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा मास्टरप्लान तैयार करेगी, जिसका तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन विभाग द्वारा गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी की हरी झंडी मिलने के पश्चात यह प्रस्ताव विकास आयुक्त का अध्यक्षता में बनी प्रोजेक्ट एसेसमेंट एंड मानिटरिंग कमिटी (पीएएमसी) के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पीएएमसी की स्वीकृति के बाद ही अनुदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएएमसी की बैठक में निवेशक या दूसरे शब्दों में जमीन मालिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। निजी औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि चार किस्तों में ही मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपये होगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 30.12.2013)**

पैन हासिल करने के लिए आधार कार्ड वैध

आय कर विभाग अब स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने के लिए पहचान पत्र और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को भी स्वीकार करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्रों की सूची में इजाफा करते हुए अब इसमें आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया है और इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीबीडीटी के इस फैसले के बाद पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता सकता है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 27.12.2013)

Scheme push for service tax

The finance ministry has collected around Rs. 5,500 crore from the service tax amnesty scheme which closes tomorrow.

" In the last four days, we have received over 16,000 applications involving Rs 1,500 crore of service tax dues. Up to December 29, 2013, we have received over 40,000 declarations involving over Rs 5,500 crore. This will broadly correspond to Rs 55, 000 crore of services, which had (earlier) escaped the tax net," finance secretary Sumit Bose said.

" From January 1, 2014, stern action will be taken against service tax evaders and provisions in the finance act relating to arrest and prosecution will be enforced in right earnest," Bose added.

(Details: The Telegraph, 31.12.2013)

RBI issues alert on deteriorating bank health

The Reserve Bank of India raised another red flag on bad assets that threaten to undermine the health of the banking industry, which has been straining under the weight of loans worth Rs 1,94,000 crore that have gone sour:

And the forecast isn't pretty.

WORRY SIGNS : • Non- performing assets of the banking sector amounts to Rs 1,94,000 crore • Average gross bad-loan ratio seen to rise to 4.6% of total lending by September 2014 from 4.2% as of September 30 this year • Restructured standard advances rose to 6% of total advances at the end of September from 5.8% in March • Infrastructure, iron & steel, textiles. aviation and mining comprise around 51% of total stressed advances of commercial banks • Bank profitability fell to 10.2% as of September 30, the lowest in at least five years. **(Details : The Telegraph, 31.12.2013)**

हाजीपुर व फतुहा बिजली पायलट टाउन घोषित

सूबे में बिजली में क्रांति दिखने लगी है। बिजली की इस क्रांति के लिए कई ठोस कदम उठाये गये हैं। सूबे में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत नागरिकों को जहां निर्बाध बिजली मिलेगी वहीं लो-हाइ वोल्टेज से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा बिजली के आधुनिकीकरण के लिए आरएपीडीआरपी प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है, जिससे बिजली के आधुनिकीकरण के साथ-साथ इसके तकनीक में काफी विकास करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए नार्थ एवं साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि आरएपीडीआरपी प्रोजेक्ट के तहत हाजीपुर और फतुहा को बिजली के मामले में पायलट टाउन घोषित किया गया है, जिस पर जनवरी से कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इन दोनों शहरों को प्रयोग के तौर पर इस पायलट टाउन के लिए चयनित किया गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 26.12.2013)**

6000 मेगावाट बिजली परियोजना को मांगा पानी

राज्या सरकार ने 6000 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए गंगा नदी के पानी के उपयोग की अनुमति केंद्रीय जल आंयोग से मांगी है। ये प्रस्तावित इकाईयां हैं– बांका के सुलतानगंज के समीप 4000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट व रजौली में 2000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र।

(विस्तृत: दैनिक जागरण, 28.12.2013)

Registry up in rural areas, urban hubs losing sheen

WORRISOME Revenue figures show Patna sub-registry office is way behind target for this fiscal, collecting Rs. 352 cr against target of Rs. 766 cr.

Shooting land prices, enhanced registry cost and restrictions on construction of apartments have started taking a toll on the real estate sector in the state, especially in Patna.

For the latest revenue figures show that the Patna sub-registry office is way behind the target set for current fiscal, collecting just Rs. 352 crore as against the target of Rs. 766 crore. If that is a worrying trend, the registration department officials are putting up a brave front, claiming they would meet the target fixed by the end of this fiscal for the entire state. **(Details : Hindustan Times, 30.12.2013)**

आंकड़ां में गन्ना उत्पाद व चीनी खपत

पिछले साल राज्य में गन्ने की उपज	57-58 लाख टन
इस साल गन्ने की उपज की संभावना	65-70 लाख टन
इस साल चीनी उत्पादन की उम्मीद	5.5 से 5.7 लाख टन
अगले साल फसल के अनुसार चीनी का उत्पादन	6.0 लाख टन (अनुमानित)
देश में चीनी की खपत	लगभग 240 लाख टन सलाना
बिहार में चीनी की खपत	लगभग 14.5 लाख टन सलाना
हर साल चीनी खपत का ग्रोथ	2-3 प्रतिशत

चीनी की कीमत (वर्ष 2012-2013)

महीना	कीमत प्रतिकिलो में
सितम्बर 2012	36.80
दिसम्बर 2012	36.00
मार्च 2013	33.90
सितम्बर 2013	31.80
नवम्बर 2013	31.50
दिसम्बर 2013	31.00

बिहार के एक टन गन्ने से 90 किलो चीनी का होता है उत्पादन

29 में 12 चीनी मिल कार्यरत

पं. चम्पारण	5
पूर्वी चम्पारण	2
सीतामढ़ी	1
हसनपुर	1
गोपालगंज	3

बिहार में चीनी की आपूर्ति

बिहार	40 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	28 प्रतिशत
महाराष्ट्र	32 प्रतिशत

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.12.2013)

डाकबंगला के समीप बनेगा आइटी पार्क

पांच वर्षों में पंचायत से लेकर राजधानी तक आइटी का जाल बिछेगा। सरकार ने आइटी का रोड मैप तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद शीध्र ही इस पर काम शुरू हो जायेगा। प्रस्ताव में पटना के डाकबंगला के समीप आइटी पार्क व राजगीर में आइटी सिटी बनाने की योजना है।

इस पूरी परियोजना पर लगभग 8650 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग डेढ़ लाख लोगों को रोजगार तथा साढ़े छह लाख बेरोजगार युवकों को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

क्या है आइटी रोड मैप : सरकार द्वारा जो आइटी का रोड मैप तैयार किया गया है। उसके अनुसार मानव विकास सूचकांक (डिजिटल लिटरेसी), बिहार स्टेट ऑपटिकल नेटवर्क स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट सर्विस डिलेवरी गेट- वे, ई-शक्ति, संपूर्ण राज्य में ई-डिस्ट्रीक्ट, बिग डाटा एनालिसिस, ब्लॉक आइटी सेंटर, पंचायत आइटी सेंटर तथा स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास मिशन के तहत अगले पांच वर्ष में साढ़े छह लाख सीनियर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त किये विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। आइटी पार्क बनने के बाद डेढ़ लाख लोगों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने का आकलन किया गया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर 30.12.2013)**

सूबे में तीन नए पॉलिटेक्निक का निर्माण जनवरी से

कई साल की कोशिश के बाद प्रदेश में तीन नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांका, सुपौल और समस्तीपुर में पॉलिटेक्निक के लिए जमीन का प्रबंध कर लिया गया है। जनवरी से इन तीनों शहरों में कॉलेज के भवन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। दो साल के अंदर ही इन तीनों कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.12.2013)**

17 साल में बना 2560.30 किमी नेशनल हाइवे

आज ही नहीं, जब बिहार-झारखंड एक था तब भी यहां नेशनल हाइवे का घोर संकट था। 1957 तक संयुक्त बिहार में मात्र 1,173 किमी नेशनल हाइवे ही थे। जो एनएच थे भी, वे सिंगल लेन वाले थे। संयुक्त बिहार में नेशनल हाइवे के निर्माण की गति 1996 से तेज हुई। बिहार-झारखंड बंटवारे के बाद इसके निर्माण में और तेजी आयी है। आठ वर्षों में 1185.71 किमी सड़कें नेशनल हाइवे घोषित की गयी हैं।

• 1173 किसी एनएच था बिहार में 1957 तक • 1185.71 किमी सड़कें आठ साल में एनएच घोषित हुई।

बिहार में एनएच विस्तार : एक नजर	
चार अप्रैल, 1957 तक	1173 किमी
29 नवंबर, 1996 को	93 किमी
छह जून, 1997 को	310 किमी
23 अप्रैल, 1999 को	69 किमी
23 अप्रैल, 1999 को	389 किमी
18 नवंबर, 1999 को	493 किमी
24 अप्रैल, 2001 को	947 किमी
29 अक्टूबर 2004 को	320 किमी

आठ वर्षों में एनएच में शामिल सड़कें	
बरियारपुर-चकाई	146 किमी
मंझौली-चौरठ	64 किमी
बढ़हिया- अररिया	227.11 किमी
कटिहार-पूर्णिया	28.70 किमी
पिपराकोठी-अररिया	513.30 किमी
मोहनिया-डोभी	205.70 किमी
पिपराकोठी-रमगढ़वा	67 किमी
फारबिसगंज- जोगबनी	13 किमी

• **879** किमी सड़के एनएचएआइ को सूपूर्द • **64.20** किमी सडकें नेशनल हाइवे घोषित • **3337.51** किमी एनएच का बिहार सरकार द्वारा रख-रखाव

(साभार : प्रभात खबर, 31.12.2013)

नगर निकायों की खाली भूमि की दर निर्धारित

नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों में खाली पड़ी भूमि का कर निर्धारित कर दिया है। नयी दर के अनुसार राजस्व की वसूली की जायेगी। इस प्रकार सभी रिक्त भूमि को मार्च, 2014 तक कर के दायरे में लाया जायेगा और कर की वसूली की जायेगी। इसके लिए नगर निगम के प्रत्येक अंचल और नगर पर्षद व नगर पंचायतों में उपलब्ध संरचना के अनुसार विशेष कोषांग गठित होगा, जो प्राप्त संपत्ति कर का सही जांच व सत्यापन कर सकेगा। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी नगर निकायों में वसूली कोषांग गठित की जाये व बकायेदारों से कर की नियमानुसार वसूली करे। कर निर्धारण के लिए रिक्त भूमि का वर्गीकरण तीन सड़कों के आधार पर किया जायेगा। प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़क। इसमें भी निकायों के अनुसार रिक्त भूमि के कर का निर्धारण भी किया गया है।

निकाय	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
नगर निगम	पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर	चार रुपये प्रति वर्ग मीटर	तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर
नगर पर्षद	चार रुपये प्रति वर्ग मीटर	तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर	दो रुपये प्रति वर्ग मीटर
नगर पंचायत	तीन रुपये प्रति वर्ग मीटर	दो रुपये प्रति वर्ग मीटर	एक रुपये प्रति वर्ग मीटर

(साभार : प्रभात खबर, 31.12.2013)

2012-13 में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि

• भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 80 प्रतिशत अब भी कोयला और गैस (थर्मल) पर निर्भर है। • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 2012-13 में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बनी रही। यह देश के कुल उत्पादन में 28 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रही है। • देश में सर्वाधिक मांग के समय अप्रैल, 2012 से नवंबर 2012 के बीच विद्युत की कमी 8.6 और 9 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल से नवंबर, 2013 में 4.5 और 4.2 प्रतिशत हो गयी है। • 2,29,252 मेगावाट हो चुकी थी भारत में ऊर्जा क्षेत्र की कुल स्थापित क्षमता 31 अक्तूबर, 2013 तक। • 72,927 मेगावाट का योगदान निजी क्षेत्र का • 20622.80 मेगावाट की वृद्धि हुई 2012-13 के दौरान विद्युत क्षेत्र की क्षमता में, जो कि अब तक एक वर्ष के दौरान सर्वाधिक है।

24 मई 2013 का दिन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। जब एक ही दिन में 128 गीगाबाइट का उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 27.12.2013)

इस साल करीब 7, 300 बैंक शारवाएं खुलीं

एक साल में खुलने वाली शाखाओं की संख्या सबसे ज्यादा

देश में वैकल्पिक बैंकिंग प्रणालियों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद बैंक अपनी नई शाखाएं खोलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक साल 2013 में अब तक 7,300 से अधिक शाखाएं खोल चुके हैं। यह पिछले दशक में किसी एक कैलेंडर वर्ष में खुलने वाली नई बैक शाखाओं की सबसे बड़ी संख्या है।

वर्ष 2013 में खुलने वाली बैंक शाखाएं					
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**महानगर**	**शहरी**	**अर्द्ध-शहरी**	**ग्रामीण**	**कुल**
केनरा बैंक	57	71	341	254	723
भारतीय स्टेट बैंक	117	158	139	213	627
बैंक ऑफ बड़ौदा	40	51	67	209	367
निजी क्षेत्र के बैंक	**महानगर**	**शहरी**	**अर्ध शहरी**	**ग्रामीण**	**कुल**
आईसीआईसीआई बैंक	90	84	121	292	587
ऐक्सिस बैंक	47	32	97	298	474
एचडीएफसी बैंक	1	5	137	196	339

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 27.12.2013)

उम्मीदें 2014

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अच्छी सफलता

राज्य सरकार ने उद्योगों को जमीन पर उतारने व नए निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण पहल की है। सूबे के उत्पादों की सीधे मार्केटिंग के लिए उत्पाद डायरेक्टरी भी तैयार करने का निर्णय लिया है। लेकिन सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भारी उद्योगों ने राज्य की ओर रुख नहीं किया है। स्थानीय उद्यमियों ने ही राज्य में अधिक दिलचस्पी दिखाई है। नीतीश सरकार के कार्यकाल में जमीन पर उतरे करीब 5600 करोड़ के निवेश में 80 फीसद से अधिक हिस्सेदारी स्थानीय निवेशकों की है। सूबे में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए होड़ मची है। खासकर राइस मिलें दनादन लग रही हैं। राज्य निवेश सलाहकर परिषद की बैठक में पिछले वर्ष बिजली समस्या को लेकर उद्यमियों ने आवाज उठाई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए भी सार्थक पहल की गयी है।

"उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा का कहना है कि वर्ष 2014 बिहार के लिए खुशियां लेकर आयेगा। उद्योगों व निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टेट वेंचर फंड का गठन किया जाएगा। इससे राज्य सरकार नए उद्योगों की स्थापना के लिए राशि की व्यवस्था करेगी। साथ ही सरकार नए वर्ष में दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार हाट को स्थापना करेगी, जहां हस्तशिल्पियों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध हो जायेगा। बिहटा में ड्राई पोर्ट की स्थापना हो जाने के बाद बिहार से निर्यात व आयात की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।"

–नवीन वर्मा, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग

उद्योग विभाग की इस वर्ष हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियां

• भूमि की समस्या दूर करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र को स्थापना की योजना लागू • मैन्युफैक्चरिग सेक्टर के लिए टास्क फोस का गठन • सूबे के कई क्षेत्रों में क्लस्टर स्थापना। परेव में कांसा वर्तन क्लस्टर, मुजफ्फरपुर में लीची क्लस्टर एवं दरभंगा में मखाना क्लस्टर केन्द्र की स्थापना • मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना की स्वीकृति • मुजफ्फरपुर में चर्म तथा गया में अगरवत्ती उधोग तथा अन्य विभिन्न प्रक्षेत्र के 15 क्लस्टरों को विकसित करने का प्रस्ताव पारित • बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर में अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के लिए 172 से अधिक इकाइयों के प्रस्ताव मिले, जिनमें 105 इकाइयां चालू हैं। राइस मिल (63), गेहूं मिलिंग (19), मक्का प्रसंस्करण (15), आरएवीसी (32), एफ एंड वी प्रोसेसिंग (10), दुग्ध क्षेत्र (7), मखाना प्रसंस्करण (1), शहद प्रसंस्करण (2), विस्कुट उत्पादन (4), खाद्य तेल (7) व अन्य इकाइयां 11 व फूड़ पार्क (1) क्षेत्रों में कार्य चल रहा है, जिनमें 105 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। 172 इकाइयों के लिए कुल 224912.19 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हैं जिनमें 1074.26 करोड़ का निवेश जमीन पर उत्तर गया है • भूमि की समस्या को देखते हुए उद्योग विभाग ने हाल ही में निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को मजूरी दी है। अब आम जनता औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अपनी निजी जमीन सरकार को उपलब्ध करा रही है • अब राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन उपलब्ध होने पर ही आवेदन लेगी। आवंटन

कई श्रेणियों में भूमि का वर्गीकरण कर छोटे प्लॉट में किया जाएगा • राज्य सरकार ने पहली वार स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए उत्पाद डायरेक्टरी बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की इस पहल से स्थानीय उत्पादों के समक्ष मार्केटिंग की समस्या नहीं खड़ी होगी। राज्य सरकार सूबे के अंदर से ही उत्पादित सामानों की खरीद करेगी। फिलहाल राज्य सरकार विज्ञापन के जरिए यह जानकारी एकत्रित करने जा रही है कि आखिर यहां किन-किन चीजों का उत्पादन हो रहा है और उनकी क्षमता क्या है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 30.12.2013)

यातायात जाम पर हिन्दुस्तान के साथ संवाद में चैम्बर सदस्यों ने किया विचार व्यक्त

समस्या : • टैम्पो एवं बस स्टैंड की कमी • सड़क-फुटपाथ पर अतिकमण • पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं • जलजमाव क्षेत्र की बड़ी समस्या

सुझाव : • अशोक राजपथ को वनवे किया जाए • बड़े ऑटो के परिचालन पर रोक • ठेला वालों को गुजरने के लिए समय निर्धारित हो • साप्ताहिक पार्किंग की व्यवस्था • अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था • सीसीटी कैमरा लगे, फ्लाई ओवर बने।

1. अशोक राजपथ को पूरी तरह से वन-वे कर देना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था हो। **– पी० के० अग्रवाल**
2. नियमों का उल्लंघन पढ़े-लिखे लोग ही करते हैं। सभी ओवरटेक करते हैं। **– सुभाष पटवारी**
3. मछुआ टोली से लेकर गांधी मैदान तक अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई है। **– मुकेश जैन**
4. अतिक्रमण हटाकर जबतक पार्किंग का निर्माण नहीं होगा समस्या बनी रहेगी। **– ए० के० पी० सिन्हा**
5. नियम फॉलो नहीं हो रहा है। एक्जीबिशन रोड पर यूटर्न के लिए जगह कम है। **– महावीर प्रसाद मांडीवाल**
6. गांधी मैदान से अशोक राजपथ तक जाम की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। **– अमर कुमार अग्रवाल**
7. सड़क को अतिक्रमण मुक्त की जाए। लूप सड़कों को वन-वे किया जाना चाहिए। **– सुबोध जैन**
8. ट्रैफिक पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। जाम लगा रहता है जवान देखते रहते हैं। **– श्याम सुन्दर हिसारिया**
9. जाम पर काबू पाने के लिए पहले अवैध पार्किंग को हटाने की जरूरत है। **– नवीन कुमार मोटानी**
10. हड़ताली मोड़ बंद करने से पहले सूचना नहीं दी जाती है। इससे दिक्कत होती है। **– के० के० अग्रवाल**
11. अशोक राजपथ एवं इसके सटे लूप रोड से वेंडरों को हटना जरूरी है। **– सच्चिदानंद**
12. अतिक्रमण अशोक राजपथ के जाम का मुख्य कारण है। बच्चों का दिक्कत होती है। **– सावल राम डोलिया**
13. स्टेशन गोलंबर के जाम को नियंत्रित किया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। **– राजेश जैन**
14. पहले शहर में पार्किंग की व्यवस्था ठीक थी लेकिन अब समस्या ही समस्या ही है। **– रामचन्द्र प्रसाद**
15. जाम गंभीर समस्या है। पहल नहीं की गई तो नियंत्रण मुश्किल होगा। **– विशाल टेकरीवाल**

(साभार : हिन्दुस्तान, 30.12.2013)

लाइसेंसी है हथियार तो शीघ्र भरिये फॉर्म

• 31 जनवरी 2014 तक जिला शस्त्र शाखा में फॉर्म जमा करना है अनिवार्य

• लापरवाही की तो अक्टूबर 2015 से शस्त्र हो जाएंगे गैर लाइसेंसी

अगर आपके पास हथियार है और उसका लाइसेंस भी है फिर भी आपको एक विशेष फॉर्म भरना होगा। अगर 31 जनवरी 2014 तक फॉर्म भर कर जिला शस्त्र शाखा में जमा नहीं कराया तो आप संकट में पड़ सकते हैं। डीएम के नये दिशानिर्देश के आलोक में अक्टूबर 2015 से आपका हथियार गैरलाइसेंसी हो जाएगा। भले ही लाइसेंस पर वैधता की तारीख कुछ भी लिखी हो। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों, एसडीओपी, एसडीओ को चिट्ठी लिखकर अपने इलाके के ऐसे सभी लोगों को चिह्नित कर उन्हें चार वर्ग में बांटने को कहा है जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं। साथ ही चिट्ठी में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन लोगों के पास हथियारों का अक्टूबर 2015 के पहले डाटा बेस तैयार किया जाना है और हर हथियार को एक नम्बर आवंटित करना है। इसके मद्देनजर इन लाइसेंसधारियों को अपने वर्ग के अनुसार फॉर्म भरकर जिले में जमा करवाना है। भरे हुए फॉर्म के साथ लाइसेंसधारी की हाल में खींची गयी तस्वीर और हथियार लाइसेंस की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2014 रखी गयी है। डीएम एन सरवण कुमार के मुताबिक, लोगों की सुविधा के लिए फॉर्म नम्बर एक से चार तक के प्रारूप सभी थानों, एसडीओ और एसडीओपी के कार्यालयों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। लाइसेंधारी यहां से फॉर्म ले सकते हैं। इसके अलावा जिले की वेबसाइट पर भी ये फॉर्म मौजूद हैं। इन्हें भर कर 31 जनवरी 2014 तक जमा करा कर पावती लेनी होगी। बाद में हर हथियार को एक यूनिक नम्बर आवंटित किया जाएगा। लाइसेंस के साथ-साथ यह यूनिक नम्बर होना जरूरी है अन्यथा अक्टूबर, 2015 से वह हथियार लाइसेंस होने के बावजूद यूनिक नम्बर के अभाव में गैर लाइसेंसी ही माना जाएगा।

इन बातों का रखें ध्यान

- सभी थानों, एसडीओ व एसडीओपी कार्यालयों में मिलेंगे फॉर्म
- पटना जिले से हथियार का लाइसेंस लेने वाले लोग फॉर्म- 1 भरें
- वैसे लाइसेंसधारी जो 'पटना ओडी पंजी' में दर्ज हैं, फॉर्म-2 भरें
- सपोर्टिंग वेपन का लाइसेंस लेने वालों को फॉर्म-3 भरना होगा
- संस्था के नाम से लाइसेंस लेने वाले लाइसेंसधारी फॉर्म-4 भरें
- मांगी गयी सूचना फैक्स, ई-मेल या डाक से नहीं होगी स्वीकार्य
- लाइसेंसधारी को खुद या नुमाइंदे को भेजकर कराना होगा जमा

(सभार : राष्ट्रीय सहारा, 30.12.2013)

ट्रेनों की एस्कॉर्ट पार्टी की होगी गिगरानी

बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के कारण लिया गया निर्णय

चलती ट्रेनों के अंदर चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम को लेकर नयी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत ट्रेनों में चलनेवाली एस्कार्ट पार्टी की चार स्तरीय निगरानी होगी। एडीजी व एसपी स्तर के अधिकारी भी एस्कार्ट पार्टी के काम की जांच करेंगे। खासतौर पर पांच ट्रेनों पर विशेष निगाह रखी जायेगी। रेल एसपी उपेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि इस व्यवस्था के कारण चोरी व अन्य घटनाओं काफी कमी आयी है।

नयी व्यवस्था : • एस्कार्ट पार्टी ट्रेनों के अंदर लगातार गश्त करेगी। इसके लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर एस्कार्ट पार्टी (एक पदाधिकारी व चार जवानी) की तैनाती की गयी है। • हर स्टेशन पर थानाध्यक्ष रजिस्टर में एस्कार्ट पार्टी में शामिल सदस्यों से हस्ताक्षर करायेंगे। • डीएसपी किसी भी स्टेशन पर ट्रेन में सवार होगे और वे इस बात की छानबीन करेंगे कि एस्कार्ट पार्टी सो रही है या काम कर रही है। • स्पेशल ड्राइव में दस टीमों को ट्रेनो की चेकिंग के लिए भेजा जाता है।

एस्कॉर्ट पार्टी को निर्देश : • स्टेशन आने से पूर्व ही एस्कॉर्ट पार्टी ऑफ साइड के गेट को बंद कर देगी और इस कार्य में रेलकर्मी की सहायता ले सकते है। • सभी एस्कार्ट पार्टी के पास टॉर्च या ड्रैगन लाइट अवश्य रहना चाहिए। • स्थानीय रेल थाना व पुलिस पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर अवश्य होना चाहिए। • सदेह होने पर तलाशी ले सकते है। • एस्कार्ट पार्टी के प्रभारी प्लेटफार्म पर तैनात रेल पुलिस पदाधिकारी को अपने आगमने की सूचना अवश्य देंगे।

(साभार : प्रभात खबर 28.12.2013)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296